2869

प्रशासनिक कार्यालय–जिला न्यायाधीश,भदोही।

आदेश संख्या– 93 / 12.02.2021

नोटिस

A-611

बनाम

श्री अब्दुल कलाम
सफाई कर्मचारी
जनपद न्यायालय
भदोही।

मेरे संज्ञान में यह तथ्य आया है कि आपने सिविल जज, सीनियर डिवीजन श्री अभिनव यादव, चौकी इंजार्च कस्बा ज्ञानपुर, थाना–ज्ञानपुर श्री सुनील यादव एवं आशुलिपिक जनपद न्यायालय,भदोही श्री नेहा रानी के विरूद्ध एक परिवादपत्र प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम भदोही के न्यायालय में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत दाखिल किया है। उक्त परिवादपत्र संख्या–03 सन् 2021 है। परिवादपत्र में आप लोगों के द्वारा जो भी आरोप उपरोक्त तीनों के विरूद्ध लगाये गये हैं, उनका ज्ञान आपको अवश्य होगा,ऐसे में, उक्त तथ्यों का यहां उल्लेख नहीं किया जा रहा है। अतः आप निम्न बिन्दुओं पर अपना स्पष्टीकरण दिनांक–15.02.2021 तक दीजिए :–

1. उक्त परिवादपत्र दिनांकित–01.2.2021 के अतिरिक्त आपने दिनांक 02.02.2021 को एक प्रतिवेदन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ,जनपद न्यायालय,भदोही के अध्यक्ष व महामंत्री को भी दिया। इस प्रतिवेदन में भी वही तथ्य बताया गया है जो आपके परिवादपत्र में अंकित है। अतः आप इस बिन्दु पर अपना स्पष्टीकरण दें कि क्या आपके द्वारा उक्त परिवाद,जो एक न्यायिक अधिकारी के विरूद्ध है,को दायर करने से पूर्व उससे संबंधित नियमों व विधियों की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया अथवा नहीं ?

2. आपके द्वारा अपने प्रत्यावेदन में यह उल्लेख किया गया है कि घटित घटना के सन्दर्भ में आपने जनपद न्यायाधीश को सारी बात बतायी थी। इस सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि कथित घटना दिनांकित–29.01.2021,जिसका उल्लेख आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है, के सन्दर्भ में आप लोगों ने मुझे विश्राम–कक्ष में आकर बताया था, ततपश्चात पुनः सीसीटीवी फुटेज को मेरे विश्राम कक्ष में लैपटाप पर देखा गया व उक्त समय आप व अनवर अहमद को बुलाया गया। उक्त समय आप दोनों के अतिरिक्त प्रथम अपर जनपद न्यायाधीश,श्री पी0एन0श्रीवास्तव, अपर जनपद न्यायाधीश श्री आलोक कुमार यादव, सिविल जज सीनियर डिवीजन श्री अभिनव यादव,केन्द्रीय नाजिर श्री राजेश सिंह, सहायक नाजिर श्री आनन्द तिवारी एवं कार्यालय

अब्दुल कलाम

लिपिक श्री तंजीम अहमद उपस्थित थे। परन्तु प्रथम बार जब आपने घटना मुझे बताया उस समय मैंने तुरन्त घटना सुनकर आप लोगों को भेजा व श्री अभिनव यादव,सिविल जज सीनियर डिवीजन को चेम्बर में आहूत किया था।जब सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया था तो उपरोक्त सभी लोग उपस्थित थे और देर तक इस प्रकरण पर बातचीत हुई थी। परन्तु आपने उस समय न तो मुझे यह बताया कि आप लोगों से कोई कबूलनामा करवाया गया है,न यह बताया कि श्री अभिनव यादव के द्वारा आपसे सादे कागज पर दस्तखत करवाया गया है और न ही यह बताया गया कि स्टेनों नेहा रानी का पैर पकड़वाकर माफी मंगवाया गया। अतः इस बिन्दु पर अपना स्पष्टीकरण दीजिए कि कथित घटना के सन्दर्भ में आप लोग मेरे समक्ष दो बार उपस्थित हुए,परन्तु वह क्या परिस्थितियॉं थी कि आपने इन सम्पूर्ण बातों को मेरे समक्ष नहीं बताया,जबकि दूसरे अन्य लोग भी,जिनका पूर्व में वर्णन किया गया है,उस समय विश्राम कक्ष में उपस्थित थे ?

3. आपने न तो परिवादपत्र में और न ही अपने प्रत्यावेदन में इस बात का कोई उल्लेख किया है कि स्टोनों की कुर्सी पर पिन चुभाने की घटना के कारण एक जॉच चल रही थी और उसी जॉच के अनुक्रम में श्री अभिनव यादव सिविल जज सीनियर डिवीजन द्वारा आप लोगों को बुलवाया गया। इन तथ्यों का लोपन परिवादपत्र व प्रत्यावेदन में प्रस्तुत करने की अपनी मंशा का स्पष्टीकरण दें?

4. इस सन्दर्भ में आप ~~आपन~~ अपना स्पष्टीकरण दें कि वह क्या परिस्थितियॉं थी कि बजाय मेरे समक्ष कोई प्रत्यावेदन देने के आपने दिनांक--01 फरवरी 2021 को आपके द्वारा परिवादपत्र दाखिल किया गया व 02 फरवरी 2021 को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के समक्ष प्रत्यावेदन दिया गया, परन्तु कोई भी लिखित शिकायत मेरे समक्ष आप लोगों के द्वारा प्रेषित नहीं की गयी ?

दिनांक–12.02.2021

Anil

जिला न्यायाधीश
भदोही।

अब्दुल कलाम